अति महत्वपूर्ण

संख्या 9114/26-3-82-11(71)/81

प्रेषक,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 1982

विषय:—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चयनित विकास खण्डों में निर्मित दुकानों का किराया-क्रय-पद्धति पर आवंटन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा0 सं0-6596/26-3-82-11(71)/81 दिनांक 24 मई, 1982 द्वारा उपरोक्त दुकानों के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र आवंटन आदेश का कार्यालय-ज्ञाप और आवंटन के सम्बन्ध में निष्पादित किए जाने वाले विलेख के रूप-पत्र निर्धारित किए जा चुके हैं और यह भी आदेश दिया जा चुका है कि प्रत्येक दुकान समूह के ऊपर मध्य में लोहे की चादर का एक बड़ा साइनबोर्ड मजबूती से लगा दिया जाए जिस पर सुन्दर अक्षरों में लिखा हो कि "माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रेरणा से संचालित सोशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए निर्मित उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र" इसके बाद शा0 सं0-8981/26-3--82-11(71)/81, दिनांक 15 जुलाई, 1982 में यह निर्देश भी दिये जा चुके हैं कि दुकानों का आवंटन अभ्यर्थियों की उपस्थिति में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लाटरी निकाल कर किया जाए जिससे कि किसी शिकायत को गुंजाइश न रहे ।

2—तथापि शासन के ज्ञान में कुछ ऐसे दृष्टांत आए हैं जहां दुकानों पर निर्धारित साइनबोर्ड नहीं लगाया गया है । कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दुकान-समूह पर निर्धारित साइनबोर्ड अवश्य लगाया जाए ।

3—दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आवंटन विलेख के पैरा संख्या-4 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि आवंटक को सर्वदा यह अधिकार होगा कि यदि इस बात का साक्ष्य मिले की आवंटी अनुसूचित जाति का नहीं है अथवा आवंटन के पूर्व उसके परिवार के समस्त सदस्यों की सभी श्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय रु0 3,500 से अधिक थी अथवा आवंटी के पास आवंटन के पूर्व कोई दुकान थी अथवा आवंटी दुकान का उपयोग स्वयं नहीं कर रहा है और उसने दुकान को किराये पर उठा दिया है अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया है तो, इस बात के बावजूद कि आवंटी ने दुकान का आधा मूल्य अदा कर दिया है, आवंटक को यह अधिकार होगा कि आवंटन को निरस्त कर दें और आवंटी अथवा उसकी ओर से दुकान के कब्जिज प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दें । यह बहुत महत्वपूर्ण प्राविधान है और इसे कठोरता के साथ कार्यान्वित किया जाए । यदि आवंटी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चाहे वह अनुसूचित जाति का हो अथवा अन्य किसी जाति का हो दुकान के कब्जे में पाया जाय तो उसे तुरन्त बेदखल कर दिया जाए और दुकान का आवंटन किसी अन्य पात्र व्यक्ति को कर दिया जाए ।

भवदीय,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।

पृ0 सं0-9114/26-3-82-11(71)/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित:—

(1) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0), उ0 प्र0 ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त मण्डलीय सहायक/उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
(5) निजी सचिव, मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण ।

आज्ञा से,

चन्द्र कुमार वर्मा,
विशेष सचिव ।